न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/टी.ए./2005/4176/उदयपुर

1– श्रीमती कालकी बेवा नानाजी मीणा, निवासी पीपली 'अ' फला मेण्डला तहसील खैरवाड़ा, जिला उदयपुर।
2– श्री शंकर मुतवना नानाजी मीणा, निवासी पीपली 'अ' फला मेण्डला तहसील खैरवाड़ा, जिला उदयपुर।
3– श्री रमेश मुतवना हकसी मीणा, निवासी पीपली 'अ' फला मेण्डला तहसील खैरवाड़ा, जिला उदयपुर।

.....अपीलांट्स

बनाम

1– श्री हाजाराम पिता होमाजी मीणा, निवासी पीपली 'अ' फला मेण्डला तहसील खैरवाड़ा, जिला उदयपुर।
2– श्रीमती सूरज बाई पत्नि नाथूजी मीणा पुत्री हकसी मीणा, निवासी पीपली 'अ' हाल बारापाल तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
3– श्री दला पिता कानाजी मीणा, निवासी पीपली 'अ' फला मेण्डला तहसील खैरवाड़ा, जिला उदयपुर।

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड–पीठ
श्री महेन्द्र कुमार पारख, सदस्य
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :–
श्री सम्पतलाल बोहरा) अभिभाषक अपीलान्ट
श्री संजय बोहरा)

श्री पी.एस. दशोरा, अभिभाषक रेस्पो.

दिनांक : 22 जनवरी, 2021

निर्णय

1– यह अपील अन्तर्गत धारा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 4–8–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने एक वाद बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का यह कह कर पेश किया कि मौजा पीपली–ए पटवार सर्कल पीपली तहसील खैरवाड़ा की आराजी नम्बर 1095, 1101, 1107, 1222, 1291, 1295, 1299, 1300, 1301, 1303, 1305 एवं 1306 कुल किता 12 रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है व अपीलान्ट के खानदान का सजरा वाद के पैरा नम्बर–1 में दिया हुआ है। पेमाईश के पूर्व लेटेस्ट जमाबन्दी में वादीगण बराबर हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं। वादीगण के आपस में कोई विवाद नहीं है। हकसी खातेदार के मरने पर भूमि सहवन से नानक बड़े भाई के नाम कर दी, परन्तु कब्जा काश्त वादीगण का चला आ रहा है। सेटलमेन्ट विभाग ने कथित भूमि को वादीगण के खाते नहीं कर नई पेमाईश में प्रतिवादी संख्या–1 दला के खाते कर दी, जिसे अवैधानिक एवं गैर कानूनी बताते हुये एवं इन इन्द्राज को वोईड कह कर घोषणा का दावा किया गया है। कथित भूमि को अपीलान्ट्स या स्व. नाना पिता पूंजा ने कभी भी विवादग्रस्त जमींन को प्रतिवादी संख्या–1 को विक्रय नहीं किया है एवं सेटलमेन्ट विभाग ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर प्रतिवादी संख्या–1 दला के खाते कर दी है जो ऐब इनिसीयोवाईड है, न ऐसा कोई विक्रय पत्र ही पेश हुआ और न कोई म्युटेशन ही स्वीकृत किया गया। प्रतिवादी संख्या–1 दला बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादी संख्या–1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई व प्रतिवादी संख्या–2 के जवाब दावा पेश करने हेतु दिनांक 28–10–2002 को पेश किया जाने का आदेश दिया गया, उसके बाद प्रतिवादी ने जवाबदावा पेश करने के लिये समय चाहा व दिनांक 30–6–2003 को प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा 90 दिन में जवाबदावा पेश नहीं करने से जवाद दावा बन्द किया गया व पेशी वादी की शहादत के लिये रखी गयी। कथित आदेश दिनांक 30–6–2003 के विरूद्ध प्रतिवादी ने कोई अपील नहीं की व उसके बाद प्रतिवादी की शहादत ली गयी व एकपक्षीय बहस सुनकर न्यायालय द्वारा दिनांक 7–8–2003 को दावा डिक्री किया गया। कथित डिक्री व निर्णय से नाराज होकर मौजूदा रेस्पोडेन्ट / प्रतिवादी ने अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के समक्ष पेश की। जिन्होंने अपने आदेश दिनांक 4–8–2005 द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय व विधि के विपरीत होकर काबिल निरस्तनीय है। उनका यह भी कथन है कि

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो शहादत उपलब्ध थी, उसी के अनुसार मामला निर्णित करना चाहिये था, उन्हें शहादत के लिये मामला रिमाण्ड करने का कोई अधिकार नहीं होते हुये भी उन्होंने उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर द्वारा पारित सही डिक्री को निरस्त कर मामला रिमाण्ड कर दिया जो बिल्कुल निरस्त किये जाने योग्य है। उनका यह भी कथन है कि प्रतिवादी को जवाब दावा पेश करने के समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब दावा पेश नहीं करने से बन्द कर दिया था तथा ऐसे मामले में आदेश–9 नियम–7 के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया, जो गलत है। उनका यह भी कथन है कि यह मामला आदेश–41 नियम–23 या आदेश 41 नियम 25 की परिभाषा में भी नहीं आता है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपील स्वीकार कर मामला रिमाण्ड किया, जो निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 4–8–2005 को निरस्त किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 7–8–2003 को बहाल किये जाने का निवेदन किया।

5– विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि के अनुसार है इसलिये विचाराधीन निर्णय सही है। अपील में सारभूत तथ्य नहीं होने से अपील निरस्तनीय है।

6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

7– पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि वाद पत्र की मद संख्या–1 में जो सजरा दिया है उसके अनुसार शंकर बीरमा का पुत्र है, जो कि मृतक नाना के गोद जाना बताया है। इसी तरह रमेश भी बीरमा का पुत्र है जिसे मृतक हकसी के गोद जाना बताया है। गोद जाने के बारे में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये हैं और ना ही ''गोदनामे की रस्म'' के बारे में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं। अतः बिना साक्ष्य दस्तावेज के यह मानने का कोई कारण नहीं है कि शंकर नाना का एवं रमेश हकसी का गोद पुत्र है।

8– संवत 2030–33 की जमाबन्दी ई.एक्स.–6 के अनुसार खाता संख्या–89 किता 12 रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा पर नाना–हकसी पि. पूंजा मीणा, हिस्सा बराबर, साकिन देह फला मण्डला दर्ज है। इसी जमाबन्दी में इन्तकाल संख्या–273 द्वारा हकसी की मृत्यु होने पर उसके हिस्से की भूमि नाना के खाते दर्ज कर दी गई। यदि रमेश हकसी का गोद पुत्र बन गया

था तो तभी उसके नाम पर नामान्तरकरण खोला जाना चाहिये था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और बाद में भी इस नामान्तरकरण को चुनौती नहीं दी गई। इसी प्रकार जमाबन्दी संवत 2033–36 में खाता संख्या–94 किता 10 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा पर नाना पि. पूंजा मीणा खातेदार दर्ज है।

9– भू प्रबन्ध विभाग की खतौनी बन्दोबस्त संख्या–2041 के अनुसार नये खसरा नम्बर–3570/0.34, 3960/0.03, 3963/0.09, 3965/0.05, 3966/0.05, 3967/0.03, 3968/0.02, 3969/0.09, 3983/0.27, 3984/0.17, 4005/0.01 किता 12 रकबा 1.21 हैक्टेयर पर दला पिता काना मीणा खातेदार दर्ज है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त आराजी दला मीणा की खातेदारी में दर्ज थी जिसका नाना व हकसी के परिवार से कोई संबंध नहीं था। वादीगण ने जमाबन्दी संवत 2036 तक की प्रस्तुत की है जबकि खतौनी बन्दोबस्त 2041 संवत की है। इन पांच वर्षो में भूमि का क्या हुआ? किसके नाम दर्ज थी? यह नहीं बताया है जो संदेह उत्पन्न करता है। वादीगण को यह बताना होगा कि भू प्रबन्ध से तुरन्त पहले तक भूमि उनके नाम थी, लेकिन भू प्रबन्ध विभाग ने गलती से किसी और के नाम दर्ज कर दी। संवत 2037–2041 तक का राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिये वादीगण का कथन विश्वसनीय नहीं है। इस अवधि के रिकार्ड के बिना यह नहीं माना जा सकता है कि भू प्रबन्ध विभाग ने दला के नाम गलत इन्द्राज कर दिये।

10– पत्रावली में एक शपथ पत्र श्रीमती काली पत्नी नाना मीणा की फोटो प्रति संलग्न है जिसमें कथन किया है कि नाना पिता पूंजा मीणा ने जमींन दला पुत्र काना मीणा को विक्रय कर दी थी। बाद में दला ने हाजाराम को विक्रय कर दी थी। इस शपथ पत्र से यह स्पष्ट है कि नाना पि. पूंजा ने समस्त आराजी दला को जरिये विक्रय पत्र बेचान कर दी और उसी आधार पर खतौनी बन्दोबस्त में दला पि. काना का नाम आया है। यह दावा केवल रजिस्ट्री के पैसे बचाने की गरज से किया गया है जिससे बिना पंजीकरण शुल्क चुकाये पुनः यह भूमि नाना के वारिस बनकर शंकर व रमेश के नाम दर्ज हो जाये। इन सब तथ्यों से यह स्पष्ट है कि दावा गलत तथ्यों पर आधारित होकर केवल रजिस्ट्रेशन शुल्क बचाने की गरज से किया गया है। एक भी तथ्य रिकार्ड से साबित नहीं हो रहा है।

11– विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, सलूम्बर ने अपने निर्णय दिनांक 7–8–2003 द्वारा दावा को सिद्ध मानकर वादीगण/अपीलार्थी के पक्ष में जो डिक्री पारित की है वह विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के एकदम विपरीत है। इमें निष्कर्ष निकालने में इस तथ्य से भी मदद मिलती है कि दला पुत्र काना ने हाजाराम को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र भूमि बेचान कर दी जिसका

नामान्तरकरण भी खुल गया था और हाजाराम खातेदार भी बन गया था। बिना सक्षम न्यायालय के आदेश से वह पंजीकृत विक्रय पत्र निरस्त करने का अधिकार सहायक कलेक्टर, सलूम्बर को नहीं था। उन्होंने अपने अधिकारों से परे जाकर यह विक्रय पत्र निरस्त किया। इसलिये भी उक्त निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है।

12– न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 4–8–2005 द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर, सलूम्बर का निर्णय व डिक्री अपास्त कर विधिसम्मत, तकसंगत व न्याय संगत निर्णय पारित किया है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

13– उपर्युक्त विवेचन के अनुसार यह अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य

(महेन्द्र कुमार पारख)
सदस्य